अपील संख्या 78/2020

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ
12.12.2022	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2019 के विरूद्व भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर कैम्प कोर्ट चूरू के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर ने राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रप-6) विभाग की जारी अधिसूचना नं. 1 (17) राजस्व-6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के परिपेक्ष में इस न्यायालय को हस्तान्तरित की गई। अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसार भू राजस्व अधिनियम 1956(Act NO. 15 of 1956)clause(b) of section 260 के अन्तर्गत जिला कलक्टर द्वारा भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्व धारा 75 एव 76 में अपील सुनने का क्षेत्राधिकार ही इस न्यायालय को है, चूंकि यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में पारित निर्णय के विरूद्व प्रस्तुंत की गई है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही आती है। अतः यह पत्रावली एव उसके सलग्न अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू की पत्रावली मूल ही न्यायालय भू- प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर को वापिस भिजवाई जाकर पत्रावली नम्बर से कम हो। अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2023.01.05 12:13:36 IST
Reason: SelfAttested